झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–69 / 2020

1. राजेश मुंडा
2. बिरबल मुंडा .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री चरणजीत मुखर्जी, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिएः श्री राजेश कुमार महथा, ए0पी0पी0।

4 / 24.01.2020

पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, गुराबंदा थाना काण्ड संख्या 29 / 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक से उसके मोबाइल पर वसुली रकम की माँग की गई। जबरदस्ती वसुली में उपयोग किये गये मोबाइल याचिकाकर्त्ता संख्या–1 का था। जहाँ तक याचिकाकर्त्ता संख्या–2 का संबंध है उसे संदेह के आधार पर फंसाया गया था। याचिकाकर्त्ता दिनांक 15.10.2019 से अभिरक्षा में है।

याचिकाकर्त्ता संख्या–1 के पास से मोबाइल के बरामद होने के संदर्भ में, उसका जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

जहाँ तक याचिकाकर्त्ता संख्या–2 का संबंध है उसे 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, घाटशिला के संतुष्टि पर, गुराबंदा थाना काण्ड संख्या 29/2019 के संदर्भ में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)